

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: संशोधित आदेश ::

क्रमांक: 35 /चार-3-2/94

दिनांक: 23.09.2025

मैं, **संजीव श्रीवास्तव**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया मान्नीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/6169 जबलपुर दिनांक 17.09.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 33/चार-3-2/1994 दिनांक 11.09.2025 में **आंशिक संशोधन** करते हुये **जिला मुख्यालय दतिया** में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1947, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया (श्री सतीश वसुनिया)** एवं भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया (श्री देवेश मिश्रा)** को अधिकृत करता हूँ।

शेष आदेश पूर्ववत् रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

S/c
(संजीव श्रीवास्तव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

पृष्ठंकन क्रं. 2253 (3) /चार-3-2/94

दतिया, दिनांक: 23.09.2025

प्रतिलिपि :

1. **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दतिया** की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ तथा **जिला मुख्यालय दतिया** पर मजिस्ट्रेट न्यायालयों के विचारण योग्य जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1947, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीव अधिनियम से संबंधित समस्त लंबित प्रकरणों को उक्त आदेश के अनुरूप अधिकृत अधिकारीगण के न्यायालय में विधिवत् विचारण हेतु अंतरित किये जाने एवं आदेश में उल्लेखित प्रकृति के प्रकरणों के अभियोग पत्र भविष्य में (आगामी आदेश तक) संबंधित अधिकृत न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्य विभाजन पत्रक में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही की जाकर कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

2. श्री देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग दतिया की ओर सूचनार्थ एवं जेएसए के माध्यम से जिला न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।

4. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ दतिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

23/9/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)